डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 8 ● भोपाल ● 16-30 सितम्बर, 2018 ● पृष्ठ 12 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

किसान की लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर तय होंगे फसल समर्थन मूल्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सीधी में महान परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि-पूजन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिले के अमरपुर में कहा कि राज्य सरकार किसानों की लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर उनकी फसल का समर्थन मूल्य तय करेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान का उपार्जन 1700 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा। श्री चौहान अमरपुर में 204 करोड़ की लागत की महान परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि-पूजन कर रहे थे।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की है। बाणसागर परियोजना से पूरे विन्ध्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। गुलाब सागर महान परियोजना से सीधी जिले में सिंचाई का विस्तार किया जा रहा है। महान परियोजना बहरी नहर विस्तार द्वितीय चरण में 25 किमी महान मुख्य नहर तथा 72 किमी माइनर नहरों का निर्माण होगा। निर्माण पूर्ण होने पर सीधी एवं सिहावल विकासखण्ड के 75 ग्रामों की 7424 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस योजना से 27 हज़ार से अधिक कृषक लाभान्वित होंगे। लाभान्वित कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, भू-जल स्तर में वृद्धि होगी,पशुओं को पर्याप्त चारा एवं पानी की उपलब्धता होगी।

मुख्यमंत्री ने जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से आग्रह किए कि वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकार के साथ आगे आएँ। सरकार ने विकास के साथ जनता की ज़िन्दगी बदलने का अभियान शुरू किया है। समाज के कमज़ोर वर्ग को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए संबल योजना आरंभ की गयी है, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों को पट्टा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा दी जा रही है। योजना में गरीब परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार हर तरीके की सुविधाएँ और सहायता मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को खूब पढ़ायें, पूरी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। गरीब परिवारों को भारी भरकम बिजली के बिल को माफ़ कर उन्हें मात्र 200 रूपये प्रतिमाह के मान से बिजली बिल दिये जा रहे है। सौभाग्य योजना श्री चौहान ने कहा कि सौभाग्य योजना से हर गाँव और मजरे-टोले में बिजली पहुँच रही है। अब वह दिन दूर नहीं है, जब हर ग़रीब के घर में बिजली होगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान : श्री भार्गव

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना वरदान सिद्ध हुई है। योजना में वर्ष 2006 से अभी तक लगभग पौने पाँच लाख बेटियों के हाथ पीले करने में सरकार ने मदद की है। इन परिवारों को 838 करोड़ 62 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि गरीब परिवारों की अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा बेटियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये वर्ष 2006 से प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारम्भ की गई। लोगों की माँग और उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री की पहल पर वर्ष 2012 से मुस्लिम बेटियों के लिये पृथक से मुख्यमंत्री निकाह योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अभी तक 4 लाख 59 हजार 336 परिवारों को 814 करोड़ 38 लाख 17 हजार रुपये तथा मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत 12 हजार 452 परिवारों को 24 करोड़ 24 लाख 76 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आयुक्त सामाजिक न्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वर्ष 2006 में 13 हजार 438 परिवारों को 13 करोड़ 27 लाख रुपये, वर्ष 2007 में 33 हजार 321 परिवारों को 13 करोड़ 62 लाख रुपये, वर्ष 2008 में 43 हजार 737 परिवारों को 43 करोड़ 29 लाख, वर्ष 2009 में 19 हजार 597 परिवारों को 24 करोड़ 85 लाख रुपये, वर्ष 2010 में 39 हजार 647 परिवारों को 39 करोड़ 64 लाख, वर्ष 2011 में 36 हजार 651 परिवारों को 41 करोड़ 56 लाख, वर्ष 2012 में 45 हजार 252 परिवारों को 67 करोड़ 87 लाख, वर्ष 2013 में 55 हजार 334 परिवारों को 104 करोड़ 52 लाख रुपये, वर्ष 2014 में 20 हजार 77 परिवारों को 60 करोड़ 74 लाख, वर्ष 2015 में 44 हजार 835 परिवारों को 117 करोड़ 75 लाख, वर्ष 2016 में 44 हजार 818 परिवारों को 112 करोड़ 5 लाख, वर्ष 2017 में 34 हजार 446 परिवारों को 96 करोड़ 44 लाख तथा वर्ष 2018 में जुलाई माह तक 28 हजार 123 परिवारों को 78 करोड़ 74 लाख की सहायता राशि मुहैया करवाई गई है तथा वर्ष 2018 में जुलाई माह तक 1373 परिवारों को 3 करोड़ 85 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित

ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल- 462039

वार्षिक आमसभा की सूचना

समस्त सदस्य सहकारी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (पंजीयन क्रमांक 4 दिनांक 25.03.1958) की 47वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 28 सितम्बर 2018 को दोपहर 12.30 बजे, संघ के कार्यालय ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल में आयोजित की गई है। गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक आमसभा आधा घंटे हेतु स्थगित की जाकर उसी दिन, उसी स्थान पर, दोपहर 1बजे प्रारम्भ होगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आमसभा में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

टीपः सभी सदस्यों को डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई है। अप्राप्ति की स्थिति में इस विज्ञापन को ही सूचना जाना जाये।

प्रबंध संचालक

किसानों के फसल पंजीयन की तिथि बढ़ाई गई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिये थे निर्देश

भोपाल। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, मोटा अनाज और अन्य फसलों के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया को सरल किया गया है। साथ ही पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 20 सितम्बर कर दी गई है। इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

कलेक्टर्स को जारी निर्देश में कहा गया है कि पंजीयन का कार्य प्रातरू 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाये। किसानों द्वारा खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज साक्ष्य की स्व-प्रमाणित छायाप्रति स्वरूप ली जाये। किसानों से राजस्व विभाग का अलग से प्रमाणीकरण नहीं माँगा जाये। अब भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं होगी। आज जारी किये गये निर्देश में 23 अगस्त 2018 के अनुरूप किसानों का एक ही बैंक खाता पर्याप्त होगा। उनसे दूसरे बैंक खाता क्रमांक की माँग नहीं की जाये।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि संयुक्त भूमि खाते की स्थिति में समस्त खाताधारियों की पंजीयन केन्द्र पर उपस्थिति अथवा उनसे किसी प्रकार की सहमति और शपथ-पत्र लिये जाने के निर्देश नहीं हैं। संयुक्त खाताधारियों की स्थिति में किसी भी एक खाताधारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर पंजीयन किया जाये। पंजीयन केन्द्र खोलने की प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया गया है। अतिरिक्त केन्द्र खोलने की स्थिति में जिला कलेक्टर, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने आज फसलों के पंजीयन के संशोधित निर्देशानुसार जिला कलेक्टर्स को सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करने के लिए कहा है। इस संबंध में सचिव कृषि उपज मंडियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

वित्तीय पत्रक का प्रकाशन

इस अंक में निम्न बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

1. इंदौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर
2. श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक, भोपाल

प्याज एवं लहसुन उत्पादक किसानों को शीघ्र किया जायेगा भावांतर राशि का भुगतान

मुख्यमंत्री ने पेटलावद में किया 2050.70 करोड़ की माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले के पेटलावद में कहा कि किसानों को फसल नुकसानी के लिये राज्य शासन द्वारा राहत प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्याज और लहसुन उत्पादक किसानों को शीघ्र ही भावांतर राशि का भुगतान किया जायेगा। श्री चौहान 2050.70 करोड़ लागत की नर्मदा–झाबुआ–पेटलावद माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पेटलावद नगर परिषद में विकास कार्यों के लिये विशेष निधि से एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से आगे आकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि किसानों के हित संरक्षण के लिये राज्य सरकार ने जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने और उर्वरक के अग्रिम भण्डारण की सुविधा प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं।

श्री चौहान ने सिंचाई परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नर्मदा–झाबुआ–पेटलावद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना पूर्ण होने पर झाबुआ और धार जिले के 202 गाँव की 57 हजार 422 हेक्टेयर कृषि भूमि को ग्रेविटी प्रवाह से सिंचाई के लिये पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि धार जिले के ग्राम मलवाड़ी के पास नर्मदा का जल उद्वहन किया जायेगा। यह जल 460 मीटर ऊँचाई तक 18 घन मीटर प्रति सेकेण्ड की क्षमता से धार जिले के ग्राम जाली में निर्मित जंक्शन संरचना में पहुँचेगा, जहाँ से संग्रहीत जल किसानों के खेतों तक पाइप लाइन द्वारा पहुँचाया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान का ग्रामीणों ने आदिवासी संस्कृति के अनुरूप तीर–कमान भेंट कर और झूलड़ी पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। श्री चौहान ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किये।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश्य ने परियोजना की जानकारी दी। विधायक सुश्री निर्मला भूरिया, श्री शांतिलाल बिलवाल, श्री कलसिंह भाबर, श्रीमती रंजना बघेल और श्री वेलसिंह भूरिया, अन्य जन–प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद थे।

पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण आवश्यक : श्रीमती ऊषा सक्सेना

सीहोर। जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर द्वारा सतत सहकारी प्रशिक्षण के अंतर्गत महिला सहकारी संगोष्ठी ग्राम खजूरिया खुर्द में श्रीमती ऊषा सक्सेना, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर के मुख्य आतिथ्य में श्री धरमसिंह वर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर की अध्यक्षता में श्रीमती अरूणा हर्षे पूर्व व्याख्याता श्रीमती आशा जैन समाज सेविका सीहोर के विशेष आतिथ्य में अतिथियों द्वारा मॉ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित किया। अतिथियों का स्वागत ग्राम की महिलाओं द्वारा पुष्पमाला एवं तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभुलाल गौर संस्था प्रबंधक, ओमप्रकाश गौर दुग्ध संस्था सचिव द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। श्रीमती ऊषा सक्सेना मुख्य अतिथि ने कहा कि सहकारिता का मूलमंत्र एकता की भावना से संगठन के साथ कार्य करना, एक दूसरे का सहयोग करना। पर्यावरण के सुधार हेतु सभी माताएं बहनें एक–एक पौधा लगाएं तथा मुख्य अतिथि द्वारा वृक्षारोपण किया गया। श्री धरमसिंह वर्मा, अध्यक्ष जिला संघ सम्बोधित करते हुए कहा कि सहकारिता के सात कलर आपको सभी धर्म जाति को एकता के साथ रहना सिखाता है। इसमें सामाजिक आर्थिक रूप से सभी को समान अधिकार रहता है। सहकारिता के बिना घर परिवार भी नहीं चल सकता है। इसलिए सभी एकता से रहे आपकी संस्था गठन का यही उद्देश्य है। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, एकता से कार्य करें। श्रीमती अरूणा हर्षे, श्रीमती आशा जैन, श्री तेजसिंह ठाकुर द्वारा सम्बोधित किया गया। तत्पश्चात ग्राम मगरखेड़ा में महिला सहकी संगोष्ठी का आयोजन किया एवं मिल बांचे कार्यक्रम में माध्यमिक शाला में श्रीमती ऊषा सक्सेना, श्री धरमसिंह वर्मा, श्रीमती अरूणा हर्षे, श्रीमती आशा जैन, श्री तेजसिंह ठाकुर, श्री चन्दरसिंह मेवाड़ा, देवकरण सिंह गौर उपस्थित हुए तथा बच्चों से पर्यावरण सुधार हेतु पौधे लगाने एवं जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किये तथा अच्छे से पढ़ाई करने के सुझाव दिया।

वर्ष 2021 तक प्रमाणित जैविक खेती का क्षेत्रफल होगा 4 लाख हेक्टेयर

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2021 तक प्रमाणित जैविक खेती का क्षेत्रफल 4 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने का कार्यक्रम तय किया गया है। अभी प्रदेश में प्रमाणित जैविक खेती का क्षेत्रफल करीब 2 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में जैविक खेती प्रमुख रूप से नर्मदा नदी के किनारे की जा रही है। मध्यप्रदेश को देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है।

प्रदेश में वर्ष 2011 से जैविक नीति लागू की गई है। इसके बाद प्रदेश में वर्ष 2014 में जैविक खेती विकास परिषद् का गठन किया गया। ज्ञातव्य है कि मध्यप्रदेश की गिनती जैविक कपास उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणीय क्षेत्र के रूप में होती है।

राज्य में किसानों को जैविक खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। अलीराजपुर, झाबुआ, बैतूल, खंडवा, सागर, दमोह, छिन्दवाड़ा, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिण्डोरी, कटनी, अनूपपुर, श्योपुरकला, भोपाल और सीहोर जिले के 32 विकासखंडों को प्रमाणित जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है। जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक बीज उत्पादन के लिये 8 विभागीय शासकीय प्रक्षेत्रों को पूर्णतरू जैविक बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये चयनित किया गया है।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं
डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर
फोन : 0731-2410908, 9926451862

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) ''तालीका तीन'' फार्म ''अ''

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2018 अन्त पर (01–04–2017 से 31–03–2018)

स्थिति विवरण पत्रक					*पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2018*	
गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व			राशि	राशि
1,00,00,00,000.00	1.	**अंशपूंजी**				1,00,00,00,000.00
		1. अधिकृत अंशपूंजी				
		''अ''वर्ग के अंश रू0	1000	प्रतिअंश		
		''ब'' वर्ग के अंश रू0	1000	प्रतिअंश		
		''स'' वर्ग के अंश रू0	100	प्रतिअंश		
		''द'' वर्ग के अंश रू0	100	प्रतिअंश		
		2. जारी की हुई अंशपूंजी:				
		''अ'' वर्ग के अंश रू0	1000	प्रतिअंश		
		''ब'' वर्ग के अंश रू0	1000	प्रतिअंश		
		''द'' वर्ग के अंश रू0	100	प्रतिअंश		
		3. प्रदत्त अंशपूंजी:				
14,06,106.00		अंशों में प्रतिअंश रू0		100	14,43,906.00	
57,87,71,900.00		अंशों में प्रतिअंश रू0		1000	59,97,25,900.00	
-		अंशों में प्रतिअश रू0		1000	-	
		4. उक्त (3) में से धारित				60,11,69,806.00
14,06,106.00	1406	नाममात्र सदस्यों द्वारा		1444	14,43,906.00	
57,87,71,900.00	578772	समितियों द्वारा		599726	59,97,25,900.00	
-		राज्य शासन द्वारा			-	
	2.	**रक्षित निधि एवं अन्य निधियां:**				61,37,61,979.59
13,69,90,586.00		1. रक्षित निधि			14,72,06,110.00	
10,95,89,800.78		2. कृषि साख स्थिरता निधि			11,91,69,301.87	
3,36,45,100.00		3. भवन निधि			3,39,35,000.00	
1,56,724.31		4. लाभांश समीकरण निधि			1,56,724.31	
10,75,000.00		5. सहकारिता विकास निधि			11,75,000.00	
		6. अन्य कोष एवं निधियां				
72,54,518.53		अ. सामान्य रक्षित निधि			75,58,025.53	
101.73		ब. धर्मादा निधि			101.73	
33,85,895.30		स. फर्नीचर एवं डेडस्टाक निधि			33,85,895.30	
34,14,850.22		द. वाहन निधि			35,16,559.22	
1,18,39,195.20		क. कर्मचारी कल्याण निधि			1,14,80,764.20	
38,81,345.43		ख. अमानत गारंटी फण्ड			39,55,917.43	
73,28,800.00		ग. शासकीय अंशपूंजी वापसी हेतु प्रावधान			73,28,800.00	
11,44,302.00		घ. भवन एव साजसज्जा निधि			11,44,302.00	
1,92,500.00		च प्रतिभावान छात्रों के लिये पुरूस्कार प्रावधान			1,92,500.00	
10,00,000.00		छ सह.संस्थाओं के गोदाम भवन निर्माण हेतु प्रावधान			10,00,000.00	
2,43,39,164.00		ज. कोर बैंकिंग हेतु निधि			2,43,39,164.00	
3,96,67,245.00		झ. कम्प्यूटर स्थापना निधि			3,96,67,245.00	
76,43,550.00		य. कर्मचारी प्रशिक्षण निधि			84,82,458.00	
16,00,000.00		र. सुरक्षा निधि निधि			16,00,000.00	
-		ल. रिवेल्युएशन रिजर्व			19,84,68,111.00	
	3.	**मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधिखाता अंशपूंजी के लियेः**				
-		अ. केन्द्रीय सह0 अधिकोष			-	
-		ब. प्रा0कृषि सह0साख संस्थायें			-	
-		स. अन्य समितियां			-	

स्थिति विवरण पत्रक					*सम्पत्ति तथा लेना 31 मार्च 2018*
गतवर्ष की रकम	क्रमांक	सम्पत्ति एवं लेना		राशि	राशि
84,53,71,289.73	**1.**	**रोकड़:–**			**89,89,37,285.12**
		नगदी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, तथा राज्यसहकारी अधिकोष में:–			
35,34,75,877.36		अ. नगद		23,19,63,990.39	
4,02,11,269.72		ब. भारतीयस्टेट बैंक और सहायक बैंक्स में		1,52,70,894.36	
40,71,43,532.19		स. राष्ट्रीयकृत बैंक्स में		34,35,19,243.68	
4,45,40,610.46		द. म0प्र0 राज्य सह0अधिकोष में		30,81,83,156.69	
	2.	**अन्य अधिकोषों में :**			94,28,35,751.91
32,48,07,682.18		अ. चालू खाते में		15,24,63,633.76	
-		ब. सेविंग खाते में		-	
2,17,50,86,109.00		स. मुद्दती अमानतखाते में		79,03,72,118.15	
	3.	**मांग तथा अल्पकालीन सूचना विनियोग:**			
-		टर्म डिपाजिट विथ अपेक्स बैंक		-	
	4.	**विनियोजन:**			2,08,03,53,500.00
		अ. केन्द्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभूति में: (खरीद मूल्य)			
		दर्शनीय कीमत	1,85,48,58,500.00		
		प्रीमियम पेड	98,29,000.00		
1,74,37,87,700.00		बाजार कीमत	1,82,59,16,000.00	1,86,56,03,500.00	
5,000.00		ब. अन्य जमानती प्रतिभूतियों पर		5,000.00	
20,05,90,000.00		स. अन्य सहकारी संस्थाओं के अंशों में (नीचे के 5 को छोडकर)		21,47,45,000.00	
-		द. नान एस. एल. आर. बाण्ड (आई0डी0बी0आई0 रेग्युलर इनकम बाण्ड)		-	
	5.	**राज्य भागीदारी की मुख्य/सहायक पूंजी**			
-		क. अंशपूंजी में विनियोगः		-	
-		ख. केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	-	
-		ग. प्राथ0कृषि सह0साख संस्थायें	-	-	
-		घ. अन्य सह0समितियां	-	-	
	6.	**ऋणः /अग्रीम**			9,10,74,47,703.25
4,87,04,17,180.97		अ. अल्पा0ऋण नगदी साख अधि0 तथा बिलों में जो प्रतिभूत है		7,58,61,27,660.61	
		1. शास0एवं अन्य अनु0 प्रति0पर			
		2. अन्य ठोस प्रतिभूति			
		इनमें से व्यक्तिगत	-		
		इनमें से कालातीत	-		
		घटिया आस्तियां	7,51,79,000.00		
		संदिग्ध आस्तियां	6,39,49,000.00		
		घाटा उठाने वाली आस्तियां	6,26,32,000.00		

स्थिति विवरण पत्रक			*पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2018*	
गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व	राशि	राशि
	4.	**अमानतें एवं अन्य खाते:–**		8,06,77,51,789.24
		1. मुद्दती अमानत:		
2,36,80,49,619.83		1. व्यक्तिगत	2,59,06,16,275.91	
-		2. केन्द्रीयसह0 अधिकोष	-	
2,34,61,80,447.36		3. अन्य समितियां	2,10,22,65,442.06	
		2. सेविंग अमानत:		
2,25,56,45,070.97		1. व्यक्तिगत	2,40,67,31,785.75	
-		2. केन्द्रीय सह0 अधिकोष	-	
47,46,56,016.56		3. अन्य समितियां	74,79,96,048.77	
		3. चालू अमानत:		
6,81,31,196.54		1. व्यक्तिगत	11,36,28,232.78	
-		2. केन्द्रीय सह0 अधिकोष	-	
13,06,04,818.58		3. अन्य समितियां	10,65,14,003.97	
		4. मांग एवं अल्पसूचना अमानत		
	5.	**ऋण देना –**		3,31,55,71,870.00
		1.राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकोष		
2,37,00,00,000.00		अ. अल्पा.ऋण नगद साख एवं अधिविकर्ष जो प्रतिभूत हैं ।	3,02,67,00,000.00	
		1. शास.एवं अन्य अनु. प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर –		
70,95,29,740.00		ब. मध्यवाधि ऋण जो प्रतिभूत है	28,27,54,460.00	
		1. शास.एवं अन्य अनु.प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर		
68,60,744.00		स. लंबी अवधि ऋण जो प्रतिभूत है –	49,17,899.00	
		1. शास. एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर		
		2. भारतीय स्टेट बैंक –		
		अ. अल्पाकालीन ऋण		
		ब. मध्यकालीन ऋण		
		स. लम्बी अवधि ऋण		
		3. राज्य शासन से		
		अ. अल्पाकालीन ऋण		
		ब. मध्यकालीन ऋण		
		स. लम्बी अवधि ऋण		
		4. अन्य स्त्रोत से		
15,67,233.00		अ. एकीकृत सह.विकास परियोजना	11,99,511.00	
1,74,04,174.74	6.	शाखाओं का जमाखर्च		1,13,62,213.20
19,08,44,667.30	7.	ब्याज जो देना है		18,04,23,235.66
	8.	**प्रावधान**		30,45,04,972.11
2,31,30,000.00		1. मानक आस्तियों के लिये रिजर्व	2,70,00,000.00	
16,43,30,461.11		2. संदिग्ध एवं डूबंत ऋणनिधि	16,92,64,972.11	
8,40,00,000.00		3. कालातीत ब्याजकोष	8,40,00,000.00	
84,00,277.31		4. विनियोजन ह्रास निधि	86,60,000.00	
1,10,00,000.00		5. ऋण असंतुलन निधि हेतु	1,10,00,000.00	
40,80,000.00		6. कृषि विकास एवं गृह निर्माण ऋण के लिए संचय	45,80,000.00	
	9.	**अन्य देनदारियां विवरण:**		29,44,90,243.54
13,324.00		क. देय लाभांश	12,811.00	
3,45,30,030.06		ख. किरकोल अमानत	3,20,13,774.57	
11,76,372.44		ग. फुटकर देनदारियां	15,19,817.37	
14,74,399.41		घ. समायोजन (एडजंस्टीग अकाउण्ट देना)	5,88,78,690.52	
-		ड. कर्मचारी भविष्यनिधि	-	
7,336.00		च. बिल्स पे–एबल	-	
50,000.00		छ. कर्म0को बोनस/एक्स0 देना बाकी	-	
10,06,200.00		ज. आडिट फीस देना बाकी	9,10,900.00	
2,99,558.59		झ. केडर फण्ड	1,28,578.34	
19,03,717.73		ण. पैमेंटआर्डर पे–एबल अकाउन्ट	6,52,596.73	
32,70,977.60		य. बैंकर्स चेक पेएबल अकाउन्ट	39,43,815.47	

स्थिति विवरण पत्रक			*सम्पत्ति तथा लेना 31 मार्च 2018*	
गतवर्ष की रकम	क्रमांक	सम्पत्ति एवं लेना	राशि	राशि
1,37,52,77,222.53		ब. मध्या0ऋण जो प्रतिभूत है	1,09,65,04,090.46	
		1. शास0 एवं अन्य अनु0प्रति0पर		
		2. अन्य ठोस प्रति0 में से प्रतिभूति		
		इनमें से व्यक्तिगत -		
		इनमें से कालातीत -		
28,78,32,900.52		स. लम्बी अवधि ऋण जो प्रतिभूत है	27,48,15,952.18	
		1. शास0एवं अन्य अनु0प्रतिभूति पर		
		2. अन्य ठोस प्रति0 में से प्रति 1		
		इनमें से व्यक्तिगत -		
		इनमें से कालातीत -		
-		द. कंसोरटियम फायनेन्स अपेक्स बैंक के माध्यम से	15,00,00,000.00	
		इनमें से कालातीत -		
		7. डिफर्ड टैक्स असेट्स (डी.टी.ए.) -		6,36,700.00
14,89,27,896.21		**8. प्राप्ति योग्य ब्याज**		11,44,61,994.21
		इसमें से कालातीत 6,14,87,034.88		
		9. शाखा समायोजन		
		10. भवन	22,48,62,987.21	
1,05,54,685.00		*(घसारा निधि जो कम की गई)*	70,90,299.21	21,77,72,688.00
		11. फर्नीचर फिक्चर्स –	4,26,66,458.96	
1,66,25,848.00		*(घसारे की रकम जो कम की गई)*	2,24,96,751.96	2,01,69,707.00
		अ. जीप कार	71,41,087.50	
18,98,306.00		*(घसारे की रकम जो कम की गई)*	32,17,601.50	39,23,486.00
		ब. लॉकर्स	57,85,832.25	
31,66,336.00		*(घसारे की रकम जो कम की गई)*	29,36,130.25	28,49,702.00
		स. कम्प्यूटर	3,37,56,339.82	
21,15,083.00		*(घसारे की रकम जो कम की गई)*	3,11,14,103.82	26,42,236.00
		12. अन्य सम्पत्तियां:		4,57,56,189.59
8,24,984.00		अ. केन्द्र शासन से ऋण राहत की रकम लेना बाकी	8,24,984.00	
61,177.00		ब. त्यौहार अग्रिम	30,602.00	
1,780.00		स. दौरा अग्रिम	1,280.00	
56,54,449.75		द. अन्य अग्रिम	6,90,278.75	
2,64,88,087.27		क. समायोजन	1,84,96,495.28	
26,50,278.03		ख. स्टाक फार्म व रजिस्टर	28,50,755.56	
17,788.00		ग. लॉकर किराया लेना बाकी	16,962.00	
59,065.00		य. एम0पी0ई0बी0 में डिपाजिट	59,065.00	
2,68,66,741.00		र. आयकर लेना बाकी	2,19,53,180.00	
29,23,35,715.38		ल. एन.ई.एफ.टी. अका. लेना बाकी	-	
-		व. आर.बी.आई.डिप.अका.लेना बाकी	6,808.00	
-		श जी. एस. टी. रिसिव्हेबल	8,25,779.00	
-		**13. नान बैंकिंग असेट्स के दावों के भुगतान से प्राप्त**	-	-
-		**14. लाभ एवं हानि**	-	-

स्थिति विवरण पत्रक — पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2018

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व	राशि	राशि
16,66,704.58		र. कर्मचारी उपादान निधि	12,52,196.58	
22,03,705.00		ल. इनकम टेक्स देना बाकी	22,03,705.00	
20,79,568.34		व. डी.डी. पै–एबल अकाउन्ट	20,79,568.34	
4,32,13,132.24		श केश क्रेडिट सभाओं का क्रेडिट बैलेन्स	1,42,97,809.95	
3,09,000.00		ष डिफर्ड टेक्स लायबिलिटज	-	
-		स एन इ एफ टी देना बाकी	17,64,13,465.50	
-		ह जी. एस. टी. पे–एबल	1,82,514.17	
	10. लाभ–हानिः			4,87,50,833.74
5,76,63,604.11		गत स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार लाभ	5,94,78,126.78	
4,01,30,860.11		(–)कम किया, जो अंकेक्षण वर्ष में वितरित किया गया	4,19,45,382.78	
1,75,32,744.00		शेष संचित लाभ	1,75,32,744.00	
4,19,45,382.78		(+)जोड़ो इस वर्ष का लाभ जो लाभ हानि पत्रक से आया	3,12,18,089.74	
	11. आकस्मिक देनदारियां			
-		1. दी गई प्रत्याभूति के विरूध्द देय राशि	-	-
-		2. अन्य	-	-
12,36,14,23,304.57	महायोग			13,43,77,86,943.08

स्थिति विवरण पत्रक — सम्पति तथा लेना 31 मार्च 2018

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	सम्पत्ति एवं लेना	राशि	राशि
12,36,14,23,304.57	महा योग			13,43,77,86,943.08

सही/– (ए.के. नागोर) प्र. सांख्यिकी अधिकारी

सही/– (कमल भावे) प्र. प्रबन्धक(लेखा)

सही/– (आलोक जैन) मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही/– (के. पाटनकर) कमेटी सदस्य एवं उपायुक्त, सहकारिता, इन्दौर

सही/– (अशोक सोमानी) उपाध्यक्ष

सही/– (उमानारायण सिंह पटेल) अध्यक्ष

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ. पी. तोतला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 000734C

सही/– (C.A. नवीन कुमार सोमानी) साझेदार, मेम्बरशिप नं. 429100

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) ''तालिका तीन'' फार्म ''ब''
31.03.2018को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि पत्रक (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक)

गतवर्ष की रकम	क्रमांक / खर्च का विवरण	राशि	राशि
79,33,42,240.38	1. अमानत तथा ऋण पर ब्याज	81,92,34,854.79	
14,56,63,507.75	2. वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि	14,92,43,174.50	
7,14,450.00	3. संचालक मण्डल एवं स्थानिय समितियों के, सदस्यों का शुल्क एवं भत्ता	9,89,352.00	
1,89,87,712.00	4. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यय	2,11,35,297.96	
2,37,357.00	5. विधि व्यय	3,73,958.07	
7,26,125.00	6. डाक, दूरलेख एवं दूरभाष व्यय	6,69,523.69	
12,88,670.00	7. अंकेक्षण शुल्क	9,11,100.00	
73,49,742.50	8. सम्पत्ति पर घसारा एवं दुरूस्ती	96,15,307.01	
22,33,322.60	9. लेखन सामग्री, छपाई एवं विज्ञापन	18,01,635.82	
-	10. नान बैंकिंग असेट्स के बेचान से हानि	-	
83,45,233.06	11. अन्य व्यय (केडर फण्ड में, राज्य, जिला सह. संघ को चंदा व अन्यखर्च)	83,66,659.33	
58,65,424.00	12. कोर बैंकिंग	65,40,904.00	
-	13. रिवर्स फसल बीमा प्रीमियम	1,45,31,608.00	
-	14. जी. एस. टी. भुगतान	30,84,297.48	
-	15. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष में प्रावधान	50,00,000.00	
-	16. मानक आस्तियों की निधि के लिये प्रावधान	38,70,000.00	
-	17. विनियोजन ह्रास निधि हेतु प्रावधान	-	
50,000.00	18. प्रावधान कर्म0को बोनस/एक्स0 देना बाकी	-	
5,00,000.00	19. कृषि विकास एवं गृह निर्माण ऋण के लिये संचय	5,00,000.00	
1,60,95,100.00	20. वर्ष 2017–18 में आयकर के लिये प्रावधान	1,32,43,601.00	
-	21. डिफर टेक्स लायबेलिटिज के लिये प्रावधान	-	
4,19,45,382.78	22. शुध्द लाभ वर्ष 2017–2018	3,12,18,089.74	
1,04,33,44,267.07	***कुल योग***	**1,09,03,29,363.39**	**1,09,03,29,363.39**

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) ''तालिका तीन'' फार्म ''ब''
31.03.2018को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि पत्रक (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक)

गतवर्ष की रकम	क्रमांक / आमदानी का विवरण	राशि	राशि
1,02,28,90,944.35	1. ब्याज एवं बट्टा	1,07,01,10,060.64	
1,18,91,927.63	2. कमीशन विनिमय एवं दलाली	77,41,909.55	
-	3. अनुदान एवं दान	-	
-	4. नान बैंकिंग असेट्स के कय विकय से लाभ	-	
82,71,865.09	5. अन्य प्राप्तियां	1,15,31,693.20	
2,89,530.00	6. डिफर्ड टैक्स असेट्स (डी.टी.ए.)	9,45,700.00	
	7. हानि यदि हो		
1,04,33,44,267.07	कुल योग	1,09,03,29,363.39	1,09,03,29,363.39

सही/– (ए.के. नागोर) प्र. सांख्यिकी अधिकारी

सही/– (कमल भावे) प्र. प्रबन्धक(लेखा)

सही/– (आलोक जैन) मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही/– (के. पाटनकर) कमेटी सदस्य एवं उपायुक्त, सहकारिता, इन्दौर

सही/– (अशोक सोमानी) उपाध्यक्ष

सही/– (उमानारायण सिंह पटेल) अध्यक्ष

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ. पी. तोतला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 000734C

सही/– (C.A. नवीन कुमार सोमानी) साझेदार, मेम्बरशिप नं. 429100

O.P. TOTLA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Indore : +91-731-2492877(O), 2550150(R)
Fax : +91-731-2490439
Ujjain : +91-734-2521211(O),2513967(R)
Fax : +91-734-2520645
E-mail: contact@optotlaco.com

स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्रति,
सदस्यगण,
इंदौर प्रीमियर को- ऑपरेटिव बैंक,
इंदौर - (म.प्र)

1) वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने इंदौर प्रीमियर को ऑपरेटिव बैंक, इंदौर (जिन्हे की यहाँ पर आगे " बैंक " कहा गया है), पंजीकृत पता 24, महारानी रोड, इंदौर (म.प्र) के संलग्न वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण, जिसमे सम्मिलित है 31st मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले साल के लिए 31st मार्च, 2018 की तुलन पत्र, लाभ तथा हानि खाता, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना। इन वित्तीय विवरणों में निगमित हमारे द्वारा अंकेक्षित 29 शाखाओ

2) वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक प्रबंधन, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (जैसा भी सहकारी संस्थाओ / सहकारी बैंको को लागु हो) और इसके अंतर्गत बनाये गए विनियम,तथा NABARD, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशो, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंडों की अपेक्षा के अनुसार इन् वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए उत्तरदायी है । इस उत्तरदायित्व मे उन् वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रण की रचना, क्रियाव्यन और रख- रखाव सम्मिलित है, जो महत्त्वपूर्ण गलतफहमी, भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से मुक्त हो और जिसके परिणाम स्वरूप ये वित्तीय विवरण सत्य और सही दृष्टिकोण देते है ।

3) अंकेक्षण का दायित्व

a) हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित इन् वित्तीय विवरणों पर एक मत/ विचार की अभिव्यक्ति करना है । हमने हमारे अंकेक्षण को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा अंकेक्षण पर जारी किये गए मानदंडों के अनुसार किया है । वे मानदंड अपेक्षा करते है की हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करे और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण का नियोजन और संपादन करते है की क्या वित्तीय विवरण तात्विक अयथार्त से मुक्त है।

b) एक अंकेक्षण, राशियों बारे में अंकेक्षण साक्ष्य और वित्तीय विवरणों को में अप्रकटीकरणो को प्राप्त करने के लिए पद्धितियों का संपादन करना समाविष्ट करता है। चयनित पद्धितिया अंकेक्षण के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमे सम्मिलित है वित्तीय विवरणों के तात्विक अयथार्त की जोखिमों के निर्धारण, क्या चाहे वे धोके या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम निर्धारणों को करने में , उन अंकेक्षण पद्धितियों, जो की परिस्तिथियों में उचित है डिज़ाइन करने के लिए नियंत्रण विवरणों की बैंक की तैयारी और उचित प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को विचारित करता है। परन्तु अंकेक्षण का उद्देश्य उन आंतरिक नियंत्रणो की परिपकता पर राय व्यक्त करना नहीं है। एक अंकेक्षण, प्रयोग में ले गयी लेखांकन नीतियों की उचितता तथा प्रबंधन द्वारा बनाये गए लेखांकन अनुमानों की उपयुकक्ता का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित करता है।

c) हम विश्वास करते है जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किये है वे हमारे अंकेक्षण मत के लिए एक आधार प्रदान करने मे उचित एवं उपयुक्त है।

4) क्वालिफाइड ओपिनियन के आधार (Basis for Qualified Opinion)

a) यह बैंक कि परंपरा है कि सहकारी समिति के सदस्यों को बैंक द्वारा ब्याज सब्सिडी के लिए 2% के योगदान का व्यय प्रबंधन द्वारा अपैक्स बैंक से एडवाइस मिलने पर बुक किया जाता है, न कि वर्ष के अंतिम दिन। चालू वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधान लेखांकन के उपार्जन (Accural) आधार पर बुक किया गया है, लेकिन इसी खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 का ₹ 398.00 लाख (लगभग) की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रिजर्व और अधिशेष (Reserve and Surplus) ज्यादा आ रहा है।

b) बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न उधारों पर ब्याज व्यय कम बुक किया गया है। यह राशि लगभग 32.75 लाख रुपये है। जिसके परिणामस्वरूप बैंक का लाभ ज्यादा आ रहा है।

c) गैर-निष्पादित अग्रिमों (NPA) के मामले में अचेतन ब्याज (Unrealized Interest) राशि ₹ 45.93 लाख रुपये उल्टा (Reverse) नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप बैंक का लाभ ज्यादा आ रहा है।

d) i) गैर-कृषि ऋणों के मामले में, बैंक द्वारा संपत्ति को गैर-निष्पादन संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया थोड़ी दोषपूर्ण है। ऋण के एनपीए होने की सही तिथि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं निकाली जाती है। इसके बजाय, इसे एनपीए के रूप में घोषित करने के लिए कोई भी गलत तारीख निकाल ली जाती है। बैंक के मुनाफे पर इसका प्रभाव पता नहीं किया जा सकता है | केवल एनपीए तिथि निर्धारित करने की सही प्रक्रिया का पालन करके इसे भविष्य में सही ढंग से ठीक किया जा सकता है।

(ii) गैर-कृषि ऋण के मामले में मानक, संदिग्ध और हानि संपत्तियों में वर्गीकरण आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। उप-मानक घोषित किए गए कई खातों को नियत अवधि के अंतराल के बाद संदेहजनक 1, संदेहजनक 2, संदेहजनक 3 या हानि संपत्ति में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था या कई उप-मानक खातों को मानक खातों मे वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसका कारण मैन्युअल वर्गीकरण है। एक वर्ग से दूसरी श्रेणी में वर्गीकरण करने पर भी कुछ गलतियां पाई गयी है।

d (i) और d (ii) के प्रभाव के परिणामस्वरूप बैंक का लाभ, भंडार और अधिशेष (Reserve and Surplus) ज्यादा आ रहा है।

e) बैंक के ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि बैंक ने भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन ₹ 2,469.15 लाख से किया है एवं इसी राशि से पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व का निर्माण किया गया है, परन्तु बैंक ने अनजाने में भूमि मूल्य को दो बार जोड़ा है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी सम्पति के साथ-साथ पुनर्मूल्यांकन रिजर्व दोनों ज्यादा आ रहे है।

f) जीप एवं कार के अलावा स्थायी सम्पतियो को बेचने पर की जाने वाली लेखांकन प्रकिया गलत है। एकत्रित घसारे\अवमूल्यन एवं विक्रय पर हुए लाभ-हानि पर विचार किए बिना ही विक्रय से प्राप्त हुई राशि को स्थायी सम्पति के ब्लॉक मे क्रेडिट कर दिया जाता है। अतः सम्पूर्ण ब्लॉक मूल्य गलत आ रहा है। परिणामस्वपरूप घसारे\अवमूल्यन की गलत गणना हुई है एवं इसका लाभ पर प्रभाव निश्चित नहीं है।

5) क्वालिफाइड ओपिनियन (Qualified Opinion)

हमारे मत मे और हमारी सूचना की उत्तमता मे तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, *हमारी प्रतिवेदन के क्वालिफाइड ओपिनियन के आधार के अनुच्छेद के अंक (a) से (c) में वर्णित मामलों के प्रभाव और अंक (d) से (f) में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर,* उपर्युक्त वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके से ज़रुरत के अनुसार जानकारी देते हैं और आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं;

a) तुलन पत्र, उस पर दी गई टिप्पणियों के पठन के साथ, एक पूर्ण और उचित तुलन पत्र है, जिसमे सभी आवश्यक विवरण दिए गए है, जिसको उचित रूप से बनाया गया है, जिससे की भारत मे सामान्य रूप से स्वीकार लेखांकन सिद्धांतो की पुष्टि मे 31st मार्च 2018 ,को बैंक के मामलो के कथन के एक सत्य और उचित दृश्टिकोण को प्रदर्शित कर सके;

b) लाभ और हानि खाता, उस पर दी गई टिप्पणियों के पठन के साथ, भारत मे सामान्य रूप से स्वीकार लेखांकन सिद्धांतो की पुष्टि मे 31st मार्च 2018, को उस खाता द्वारा आवरण किये गए लाभ के एक सत्य शेष को दर्शाता है।

6) अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म "ए" और "बी" में तैयार किए गए हैं;

2. अनुच्छेद 3 (a) से 3 (c) में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन, हम प्रतिवेदन करते हैं कि:

   a) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारी सूचना की उत्तमता और विश्वास के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

   b) बैंक के लेनदेन जो हमारे संज्ञान मे आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के भीतर हैं; और

   c) बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

3. हम आगे यह भी प्रतिवेदन करते हैं कि:

   a) तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता जो इस अकेंक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित हे, वे लेखांकन की पुस्तकों एवं रिटर्न्स से मेल खाते है;

   b) क्वालिफाइड ओपिनियन के आधार के अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है।

वास्ते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 000734C

स्थान : इंदौर (म. प्र.)
दिनांक : 29.05.2018

O.P. TOTLA & CO. INDORE Chartered Accountants

CA. नवीन कुमार सोमानी
साझेदार
मेम्बरशिप नंबर : 429100

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल
स्थिति विवरण पत्रक वर्ष 2017–18

(In the THIRD SCHEDULE as per Section 29 of B.R.Act,1949)

राशि 31.03.2017	पूंजी एवं देनदारियां		राशि	राशि 31.03.2018
	अंश पूजी			4655500.00
	(i) **अधिकृत अंशपूंजी**	0.00		
	5,00,000 प्रत्येक के लिये 100/– रूपये			
	(ii) **प्रदत्त अंशपूंजी**			
	46490 प्रत्येक के लिये 100/– रूपये		4655500.00	
4649000.00	(a) व्यक्तिगत	4655000.00		
	2 रक्षित एवं अन्य निधियां			55668080.00
37198472.00	(i) रक्षित निधि		39453472.00	
13183080.00	(ii) भवन निधि		13746080.00	
0.00	(iii) विनियोग ह्रास निधि आई डी आर			
	3 अन्य निधियां		2468528.00	
0.00	(a) मानक संपत्तियों पर प्रावधान	5000.00		
0.00	(b) निवेश पर उतार चडाव पर प्रावधान IFR	0.00		
463528.00	(c) वेड डेबट्स एण्ड डाउटफुल रिजर्व	463528.00		
0.00	(d) मूल्य ह्रास आरक्षित डीपैशियशन रिजर्व	0.00		
2000000.00	(e) आकस्मिक देयतांऐं प्रावधान कान्टीजेंट	2000000.00		
	4 पार्टनरशिप फन्ड अकाउन्टस			
0.00	(a) **पार्टनरशिप फन्ड**		0.00	0.00
	5 अन्य सावधी जमा खातें			17543089.96
	(i) **(A) सावधी जमा खातें**		477483.00	
467348.00	(a) व्यक्तिगत सावधी जमा खातें	477483.00		
0.00	(b) सोसायटीयों के सावधी जमा खातें	0.00		
0.00	(c) सीनियर सिटीजन सावधी जमा खातें	0.00		
	(B) डबल डिपोजिट सावधी जमा खातें		7480107.00	
1388244.00	(a) व्यक्तिगत डबल डिपोजिट जमा खातें	6974875.00		
433502.00	(d) सोसायटीयों डबल डिपोजिट जमा खात	95530.00		
88471.00	(c) सीनियर सिटीजन डबल डिपोजिट जमा खात	409702.00		
	(C) परिपक्व जमा खातें		0.00	
0.00	(a) व्यक्तिगत परिपक्व सावधी जमा खातें	0.00		
0.00	(b) डबल डिपोजिट परिपक्व सावधी जमा खातें	0.00		
0.00	(c) डबल डिपोजिट सोसायटी परिपक्व सावधी जमा खातें	0.00		
0.00	(d) परिपक्व आवर्ती जमा खातें	0.00		
	(ii) **बचत खातें**		6006919.30	
4187170.36	(a) व्यक्तिगत जमा खातें	4652257.81		
317363.49	(b) सोसायटीयों के जमा खातें	1354661.49		
	(iii) **चालू खातें**		3414633.66	
2052683.38	(a) व्यक्तिगत जमा खातें	3376740.87		
37892.79	(b) सोसायटीयों के जमा खातें	37892.79		
	(iv) **कॉल सूचना पर पैसा**			
	(a) व्यक्तिगत जमा खातें			

राशि 31.03.2017	संम्पत्ति एवं लेनदारियॉ		राशि 31.03.2018	राशि 31.03.2018
185221.00	**1 हस्त रोकड**		633300.00	633300.00
	2 विनियोग अन्य बैंको में			48816354.17
	(A) चालू खातें अन्य बैंकों में		7123485.17	
267886.67	(i) भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्ल बैंक एम.पी. नगर शाखा	345557.17		
247131.62	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य शाखा	247131.62		
434978.03	(iii) एम.पी.आर.एस.बी. बैंक एमएस खाता	434978.03		
10000.00	(iv) एम.पी.आर.एस.बी. बैंक चालू खाता	10000.00		
34779.09	(v) आई.डी.बी.आई. बैंक टी. टी. नगर भोपाल	30416.09		
59416.66	(Vii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एम.पी. नगर शाखा	25732.66		
10900.00	(Viii) भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्ल बैंक एम.पी. नगर शाखा	0.00		
7312535.32	(ix) येस बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा	3931434.64		
647175.00	(x) दि श्यामराव विटठल को–ऑपरेटिव बैंक खाता	2098234.96		
0.00	**(B) बचत खातें अन्य बैंकों में**		0.00	
	(C) सावधी जमा खातें अन्य बैंकों में		41692869.00	
504274.00	(i) एम.पी.आर.एस.बी. बैंक एम.पी. नगर शाखा	653792.00		
16619975.00	(ii) भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्लबैंक एम.पी. नगर शाखा	14989077.00		
15000000.00	(iii) दि श्यामराव विटठल को–ऑपरेटिव बैंक खाता	19000000.00		
1000000.00	(iv) येस बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा	6000000.00		
0.00	(iv) आई डी. बी. बैंक न्यू मार्केट शाखा	1050000.00		
	3 MONEY AT CALL AND SHORT			
	NOTICE INVESTMENTS :			29165950.00
	(i) शासकीय पगतिभूतियों में निवेश			
29165850.00	बुक मूल्य पर निवेश रूपये राशि		29165850.00	
0.00	(ii) अन्य ट्स्टी प्रतिभुतियों पर निवेश		0.00	
	(iii) सहकारी बैंको में जमा अंश			
100.00	नियम पांच के नीचे		100.00	
	(iv) अन्य जगहो पर निवेश			
0.00	(a) भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्ल बैंक एम.पी. नगर शाखा	0.00		
	5 ऋण तथा अग्रिम			1785285.00
	(I) अल्पकालीन ऋण		649103.00	
18390.00	(i) कन्जुमर डयूरेबल लोन	241881.00		
18516.00	(ii) पर्सनल लोन की राशि	34845.00		
0.00	(iii) एल. आई. सी. एवं एन.एस.सी. के विरूद्व लोन	322311.00		
0.00	(iv) कैश क्रेडिड लोन की राशि	50066.00		

राशि 31.03.2017	पूंजी एवं देनदारियां		राशि	राशि 31.03.2018
	(v) **आवर्ती जमा खातें**		162947.00	
88307.00	(a) व्यक्तिगत जमा खातें	162947.00		
	(vi) **दैनिक जमा खातें**		1000.00	
1000.00	(a) व्यक्तिगत जमा खातें	1000.00		
66556062.02			**77866669.96**	**77866669.96**
	6 लोन खातें			0.00
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल			
	(ii) भोपाल को ऑपरेटिव सेन्ट्ल बैंक भोपाल			
0.00	एम. पी. नगर शाखा भोपाल		0.00	
	7 वसूली योग्य बिल			
0.00	(i) जावक बिल संग्रह ओबीसी कांट्रा इन्ट्री		0.00	2500000.00
	(II) बैंक गारंटी इश्यू कांट्रा इन्ट्री		2500000.00	
0.00	**8 शाखा समायोजन इन्ट्री**		0.00	0.00
0.00	**9 अतिदेय ब्याज रिजर्व ओवर डयू**		0.00	0.00
	10 अमानतों पर देय ब्याज			51597.00
43356.00	(i) सावधी जमा खातों पर देय ब्याज		51597.00	
0.00	(ii) आवर्ती जमा खातों पर देय ब्याज		0.00	
	11 अन्य दायित्व			4815799.00
0.00	(i) सहकारी संघ चंदा देय राशि		0.00	
2251195.00	(ii) पेयमेंट आर्डर बैंकर चेक की राशि		2141997.00	
5951.00	(iii) स्टैल डिमांड ड्रॉफट की राशि		0.00	
60505.00	(iv) अंकेक्षण शुल्क की देय राशि		29005.00	
72660.85	(v) पेय आर्डर इश्यू		1412067.00	
200304.00	(vi) स्टैल चेकों की राशि		168169.00	
795838.00	(vii) डी.डी. पेयबल आई डी.बी.आई खाता		748170.00	
400000.00	(viii) आयकर जमा खाता		0.00	
649500.00	(ix) ऐरियर्स ऑफ रेंट		298800.00	
0.00	(x) टी. डी. एस. पेयबल		17591.00	
	12 लाभ – हानि खाता			**1463163.69**
	बैंक का शुद्व लाभ			
2818643.22	**बैंक का शुद्व लाभ लाभ – हानि पत्रक से**	1463163.69	1463163.69	
	13 जमा शेष केडिड बैलेंस			
0.00	(ii) **केडिड बैलेंस इन लोन खाता**		0.00	0.00
0.00	(ii) **केडिड बैलेंस इन डी.डी अगेन्स्ट ओबीसी**		0.00	0.00
73854015.09	**योग**			**86697229.65**

वास्ते :– श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

सही/– अध्यक्ष | सही/– संचालक | सही/– संचालक | सही/– शाखा प्रबंधक | सही/– अंकेक्षक अधिकारी

राशि 31.03.2017	संम्पत्ति एवं लेनदारियॉ		राशि 31.03.2018	राशि 31.03.2018
	(ii) मध्य एवं दीर्घ अवधि ऋण		1136182.00	
0.00	(i) भवन/ ग्रह ऋण की राशि	50082.00		
91779.00	(ii) वाहन ऋण	1086100.00		
0.00	(iii) सम्पत्ति के विरूद्व ऋण	0.00		
0.00	(iv) व्यवसाय के विरूद्व ऋण	0.00		
	6 प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि			3501703.00
1911305.00	(i) प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि अमानतों पर		3501703.00	
0.00	(ii) प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि लोन खातों पर		0.00	
	7 वसूली योग्य बिल संग्रह की राशि कांट्रा इन्ट्री			2500000.00
0.00	(i) वसूली योग्य बिल संग्रह की राशि कांट्रा इन्ट्री		0.00	
0.00	(ii) बैंक गारंटी इश्यू राशि कांट्रा इन्ट्री		2500000.00	
0				
0.00	**8 शाखा समायोजन खाता**		50383.92	50383.92
	9 फर्नीचर एवं फिक्चर अवक्षयण काटकर			171121.13
88863.27	(i) फर्नीचर एवं फिक्चर		107077.18	
23065.47	(ii) ऐअर कन्डीशनर		19605.65	
125932.28	(iii) कम्प्यूटर हार्डवेयर		44438.30	
	11 अन्य लेनदारियां			73132.43
5609.68	(i) एडवांश इन टेलिफोन		5002.43	
7016.00	(ii) पुस्तकालय		7016.00	
58216.00	(ii) स्टेशनरी स्टॉक खाता		55006.00	
3500.00	(iv) एडवांश जमा विजली के लिये		3500.00	
1600.00	(v) एडवांश जमा गैस कनेक्शन के लिये		1600.00	
0.00	(vi) कृषि कल्याण शेष रकम		1008.00	
0.00	**12 अन्य बैंकिग अस्तियां**		0.00	0.00
0.00	**13 लाभ – हानि खाता**		0.00	0.00
	14 आकस्मिक देयताऐं			
0.00	(i) कांन्टीजेंट दायित्व		0.00	0.00
73854015.09	**कुल योग**			**86697229.65**

राशि 31.03.2017	आय का विवरण	जमा	नामे	राशि 31.03.2018	
	01. अर्जित आय				5357206.00
2266.00	अर्जित ब्याज ऋण खातों पर	97266.00	0.00	97266.00	
5991224.30	अर्जित ब्याज निवेश खातों पर	5259940.00	0.00	5259940.00	
	02. प्राप्त कमीशन एवं एक्सचेंज				28002.50
524.00	कमीशन प्राप्त	32083.00	4203.50	27879.50	
0.00	सर्विस चार्ज प्राप्त	323.00	200.00	123.00	
0.00	**03. प्राप्त आय नोन बैंकिंग संपत्ति से**	0.00	0.00	0.00	0.00
	04. अन्य आय प्राप्त				97874.79
7560.00	विविध आय	15101.00	0.00	15101.00	
0.00	लॉकर किराया	0.00	0.00	0.00	
0.00	अपैक्स बैकं चंदा	643.22	0.00	643.22	
0.00	त्रैमासिक चार्जेस आय	0.00	0.00	0.00	
8370.00	जनरल चार्जेस प्राप्त	95254.53	13123.96	82130.57	
2358250.00	अन्य आय (सरकारी प्रतिभूति बेचने पर)	0.00	0.00	0.00	
8368194.30	**योग**	**5500610.75**	**17527.46**	**5483083.29**	**5483083.29**

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल
134 जोन 1 एम. पी. नगर भोपाल
हानि पत्रक वर्ष 2017–18

राशि 31.03.2017	व्यय का विवरण	नामे	जमा	राशि 31.03.2018	
	01. ब्याज भुगतान एवं भुगतान योग्य				523204.00
265727.00	कुल जमा पर ब्याज भुगतान व भुगतान योग्य	660500.00	137296.00	523204.00	
	–	11742			
868328.00	**02. वेतन एवं भत्ते**	955804.00	13647.00	942157.00	942157.00
0.00	**03. संचालको का भत्ता व्यय**	0.00	0.00	0.00	0.00
	04. कर ,किराया,बीमा व्यय				1775247.00
700700.00	भवन किराया	456200.00	0.00	456200.00	
6640.00	सर्विस टेक्स	0.00	0.00	0.00	
38361.00	बीमा व्यय	38101.00	0.00	38101.00	
98643.00	बिजली व्यय	92821.00	0.00	92821.00	
3193000.00	आयकर व्यय	1145000.00	0.00	1145000.00	
0.00	विविध व्यय जमा	43125.00	0.00	43125.00	
8210.00	**05.कानूनी व्यय**	69885.00	0.00	69885.00	69885.00
	06. डाक, तार, एवं दूरभाष व्यय				48898.00
21482.00	डाक एवं तार व्यय	21285.00	0.00	21285.00	
40093.00	दूरभाष व्यय	28218.28	605.28	27613.00	
60000.00	**07. अंकेक्षण शुल्क**	47000.00	0.00	47000.00	47000.00
	08. ह्रास अवक्षयण व्यय				
70894.08	**सम्पत्तियों पर ह्रास**	66739.89	0.00	66739.89	66739.89
	09. लेखन सामग्री एवं मुद्रण खर्च				287483.00
13576.00	प्रिटिंग एवं मुद्रण व्यय	42983.00	0.00	42983.00	
18308.85	विज्ञापन व्यय	244500.00	0.00	244500.00	
	10. अन्य व्यय				254305.71
22800.00	विविध व्यय/मिसलेनियस चार्जेस	79581.00	0.00	79581.00	
10840.00	पानी व्यय	25490.00	0.00	25490.00	
42398.00	सुरक्षा व्यय	46782.00	1082.00	45700.00	
33209.00	एडमिनिस्ट्रटिव व्यय	65532.62	17279.50	48253.12	
9635.00	वाहन किराया व्यय	16175.00	0.00	16175.00	
0.00	ट्रवलिग चार्जेस	6091.00	0.00	6091.00	
10215.86	बैंक चार्जेस व्यय	15800.51	0.00	15800.51	
630.00	अखवार व्यय	1290.00	0.00	1290.00	
15816.00	सुधार एवं मरम्मत व्यय	7865.00	0.00	7865.00	
44.29	क्लीयरिग हाउस चार्जेस	647.00	0.00	647.00	
	सर्विस चार्जेस	7476.08	63.00	7413.08	
	11. निधियां एवं प्रावधान बनायें				
0.00	भवन निधि	0.00	0.00	0.00	5000.00
0.00	डूबत एवं संधिग्ध ऋण कोष	0.00	0.00	0.00	
0.00	मानक अस्तियों पर प्रावधान	5000.00	0.00	5000.00	
	12. लाभ– हानि खाता				1463163.69
2818643.22	वर्ष 2016–17 का लाभ	0.00		0.00	
	वर्ष 2017–18 का लाभ	1463163.69		1463163.69	
8368194.30	**योग**	**5664798.07**	**169972.78**	**5483083.29**	**5483083.29**

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल म.प्र.
अंकेक्षक प्रमाण पत्र

मैं, मेसर्स मेसर्स एस. के. सिघांनी एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैने श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल ;पंजीयन क्रमांक सं.पं.06/99 दिनांक 06/01/1999 का वर्ष 2017–18 का अंकेक्षण पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित निर्देशित प्रणाली से पूर्ण किया गया है । बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत सही व नियमानुसार होकर बैंक द्वारा सुरक्षित रखा गया है।

मैंने श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक का परीक्षण संबंधित लेखाओं से किया।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि :–

01. मेरे मत से बैंक का व्यवहार साधारणतः सही व ईमानदारी से बैंक के उपनियमों, सहकारी विधान की प्रचलित धाराओं, उसके अंतर्गत बनाए गये नियम, पंजीयक द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों एवं बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धाराएं ;जोकि सहकारी बैंकों के लिये लागू होती है के अनुसार हैं, व पाई गई त्रुटियों का उल्लेख अंकेक्षण टीप में है।

02. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक पूर्ण रूप से स्पष्ट है। इसमें सभी आवश्यक जानकारियॉ जो कि बैंक के व्यवहार और स्थिति को दर्शाती है, का समावेश भी किया गया है। मुझे जो जानकारी बैंक स्थिति के संबंध में बतलाई गई तथा जो जानकारी बैंक के लेखा खातों में दर्शाई गई है वह सब इसमें परिलक्षित होती है।

03. मुझे अंकेक्षण के दौरान किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण की जब भी आवश्यकता पड़ी समय–समय पर बैंक से प्राप्त हुई तथा मेरे संतोष के अनुसार हैं।

04. बैंक के व्यवहार जो भी मेरी जानकारी में आए सभी बैंक की कार्य सीमा में किये गये हैं।

05. बैंक का लाभ हानि पत्रक प्रस्तुत टीप के अधीन पाये गये आक्षेपों के तारतम्य में सही विवरण प्रस्तुत करता है।

06. मेरे मत से बैंक के स्थिति विवरण पत्रक व लाभ–हानि पत्रक प्रस्तुत टीप में नियमानुसार बनाए गए हैं ।

07. बैंक में हिसाब व खाते नियमों, उपनियमों की आवश्यकतानुसार रखे गये हैं। ऐसे सभी रखे गये रजिस्टर व खाते बहियों, जिनके आधार पर पत्रक तैयार किये गये हैं, की सूची बैंक में उपलब्ध है।

08. अतः मैं बैंक को पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, मध्य प्रदेश द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई अंकेक्षण वर्गीकरण कसौटी पत्र के मानदण्ड के आधार पर मूल्यांकन करके वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण में बैंक को '' ब '' वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।

सही/–
मेसर्स, एस. के. सिघांनी एण्ड कम्पनी
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
(मे.नं. 070326)

स्थान : भोपाल
दिनांक : 20.06.2018

मुख्य सचिव ने वीडियो कांन्फ्रेंसिंग से की संबल योजना और राजस्व प्रकरणों की समीक्षा

भोपाल। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से सागर संभाग के अंतर्गत जिलों में सबंल योजना के क्रियान्वयन और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। कॉफ्रेंस में संभागायुक्त सहित सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना तथा टीकमगढ़ के जिला कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए।

मुख्य सचिव ने सबंल योजना में हुए पंजीकरण का प्रत्येक जिले में माईक्रो एनालिसिस करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा की पंजीकरण की नियमित मॉनीटरिंग की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये की योजना के लिये पात्र व्यक्ति ही पंजीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित हो। योजना की नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत वार समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव श्रम श्री संजय दुबे ने भी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सर्वाधिक राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये छतरपुर कलेक्टर श्री रमेश भंडारी को बधाई दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नामांतरण, बँटवारा, सीमाकंन, अभिलेखों में सुधार, डायवर्सन के प्रकरणों की अनुविभाग और तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने भू–राजस्व संहिता में संशोधन अनुसार निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

पटवारी प्रशिक्षण, खरीफ गिरदावरी, फसल बीमा, रेवेन्यू एप और किसान एप के संचालन पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। पटवारी तथा राजस्व निरीक्षकों को रेवेन्यू एप का अधिकाधिक उपयोग करने के निर्देश दिये गये। राजस्व प्रकरणों के संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व श्री हरिरंजन राव एवं राजस्व आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैदानी राजस्व अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिये।

मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में हुई 207 प्रतिशत वृद्धि

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने के मकसद से रोडमैप बनाया गया है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली–पालन, वानिकी, सिंचाई विस्तार, रेशम, कुटीर और ग्रामोद्योग आदि विभाग द्वारा रोडमैप पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिला–स्तर का रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है और ग्राम–स्तर का रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिये जाने से वर्ष 2016–17 में कृषि उत्पादन 5.44 करोड़ मीट्रिक टन हो गया। खाद्यान्न उत्पादन में 207 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वर्ष 2004–05 में कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 1.43 करोड़ मीट्रिक टन हुआ करता था, जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 4.39 करोड़ मीट्रिक टन हो गया।

प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये किसानों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले एक दशक में दलहन उत्पादन में 136 प्रतिशत तक की उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश में वर्ष 2004–05 में दलहन फसलों का उत्पादन मात्र 33.51 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 79. 23 लाख मीट्रिक टन हो गया। मध्यप्रदेश में तिलहन फसलों के उत्पादन में भी रिकार्ड वृद्धि हुई है।

प्रदेश में वर्ष 2004–05 में तिलहन फसलों का उत्पादन मात्र 49.08 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 87.35 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह वृद्धि 78 प्रतिशत है।

प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र के रकबे में 57 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

सीबीएसई में 80 प्रतिशत पर भी मिलेगा मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ

भोपाल। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ अब उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा, जिन्होंने सीबीएसई सिलेबस के तहत बारहवीं में 80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व में 85 प्रतिशत की सीमा को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया जाएगा। श्री चौहान ने खंडवा में 500 बिस्तर के अत्याधुनिक अस्पताल खोलने की भी घोषणा की। श्री चौहान ने खंडवा में 200 करोड़ रुपए लागत के मेडिकल कॉलेज भवन का लोकार्पण करते हुए कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 1964 के बाद से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया था। सरकार ने आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाते हुए नवीन मेडिकल कॉलेज खोले। इससे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। उन्होंने खंडवा मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ पर निमाड़वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कालेज इस सत्र से प्रारंभ हो गया है।

मुख्यमंत्री ने छात्र सौरभ पटेल और छात्रा प्रीति मिश्रा को मौके पर ही मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से लाभांवित किया।

उज्जैन व आगर जिले में सायबर सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन

इन्दौर। सहकारिता के क्षैत्र में कम्प्यूटर, इंटरनेट व मोबाईल के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर क्राईम व उससे सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 2 अगस्त 2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक सीईओ सहित अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 30 अगस्त 2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., आगर छावनी शाखा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें आगर की प्रभारी उपायुक्त श्रीमती श्वेता रावत के मार्गदर्शन में सहकारिता व बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में सायबर अपराध के तरीके व उनसे बचाव के प्रति जागरूक किया गया व सूचना प्रौधेगिकी कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षार्थियों ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

संबल योजना में 5 एकड़ के किसान और छोटे व्यापारी भी शामिल

• 80 लाख किसान परिवार होंगे लाभान्वित • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बिछिया में की घोषणा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मण्डला जिले के ग्राम भुआबिछिया में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए घोषणा की कि संबल योजना में 5 एकड़ तक के किसानों और छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 5 एकड़ तक के कृषक परिवार में एक से अधिक भाई–बहन है तो वे भी योजना के पात्र होंगे।

80 लाख किसान परिवार होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री चौहान की इस घोषणा से प्रदेश में 5 एकड़ तक भूमि वाले कुल 80 लाख किसान परिवार सीधे मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना (संबल) के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब एक करोड़ 51 लाख कृषक खातेदार है। इनमें से 71 लाख पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले और 80 लाख परिवार 5 एकड़ से कम के खातेदार है।

श्री चौहान ने जन–कल्याण–कारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि हालौन परियोजना में डूब प्रभावित ग्राम बिरसा का समुचित विस्थापन सुनिश्चित किया जायेगा। बिछिया में एनएच बायपास रोड बनवाया जायेगा। उन्होंने लोगों से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिये स्व–प्रेरणा से अधिकारपूर्वक आगे आयें।

इस मौके पर सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्रीमती संपत्तिया उईके, विधायक श्री पंडितसिंह धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी, अन्य जन–प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा किसान मौजूद थे।

उत्तम गुणवत्ता के लिए ग्रामीण सड़क प्राधिकरण को मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने दिए पुरस्कार

भोपाल। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उल्लेखनीय कार्यों के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर द्वारा तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गये। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अभियंता म.प्र. ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण श्री पी.के. निगम ने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पुरस्कार प्राप्त किए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.पी.आर.आर.डी.ए. श्री नीतेश व्यास ने बताया कि मध्यप्रदेश को वर्ष 2017–18 में सड़क निर्माण में नवीन तकनीकी के प्रयोग के लिए तथा गुणवत्ता नियंत्रण में आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल के लिए दोनों में प्रथम पुरस्कार तथा देश में सर्वाधिक लम्बाई की सड़क मार्ग तैयार करने के लिए तृतीय पुरस्कार दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 78 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया है। सड़कों के संसाधरण में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाये गये 10 हजार 500 कि.मी. मार्गों की डामरीकृत सड़कों में बदलने का कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा सड़कों के निर्माण के साथ मानिटरिंग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए E & MARG or G & RICH सॉफ्टवेयर तैयार किए गये हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। पुरस्कार समारोह में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज श्री अमरजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव श्री संजय कुमार तथा अन्य राज्यों के ग्रामीण विकास अधिकारी उपस्थित थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने म.प्र. ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर पर मिले पुरस्कारों के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, ग्रामीण अंचल की विकास की रीढ़ है। इनके बनने के बाद से मध्यप्रदेश ग्रामीण अंचल की तस्वीर ही बदल गई है। प्रदेश के लगभग सभी गाँव मुख्य मार्गों से जुड़ चुके हैं। इसी के साथ अब कम आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी सड़को से जोड़ने का काम भी प्रदेश में तेजी से किया जा रहा है।

खेती के साथ पशुपालन कर रही है महिला कृषक शाँति

मंदसौर जिले के ग्राम नीनोरा में महिला कृषक शाँति बाई लम्बे समय से खेती कर रही है। अपने खेत में परिवार के सदस्यों की मदद से सोयाबीन, मक्का, लहसुन, प्याज, उड़द, मूँग जैसी फसलें ले रही है। शाँति अपने परिवार की कृषि से होने वाली आय बढ़ाना चाहती थी। इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, तो उसे खेती के साथ पशुपालन करने की सलाह मिली। उसने नाबार्ड के अधिकारियों से चर्चा की, तो स्व–सहायता समूह के माध्यम से 50 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता स्वरूप मिली। इस राशि से एक जर्सी गाय और एक एचएल नस्ल की गाय खरीदी।

उन्नत नस्ल की गाय से कृषक शाँति के परिवार को रोज 10 लीटर से अधिक दूध मिल रहा है, जिसे वह महिला दुग्ध सहकारी समिति को बेच रही है। इसके उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं। अब शाँति पशुपालन से 5 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रही है। पशुपालन से दूध के अलावा गोबर खाद भी मिल रही है, जो खेत में काम आ रही है।

भावसा परियोजना से किसानों को बिना बिजली मिलेगी सिंचाई

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में 104.45 करोड़ की भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ग्रेवटी सूक्ष्म भूमिगत पाइप लाईन प्रणाली वाली जिले की यह पहली परियोजना है। इससे किसानों को बिना बिजली खर्च किये खेतों तक सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण जून–2020 तक पूर्ण किया जायेगा। इससे आस–पास के सभी गाँवों की कुल 9 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

शिलान्यास कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, सांसद श्री नन्द कुमार चौहान और श्री प्रभात झा, अन्य जन–प्रतिनिधि और किसान तथा ग्रामीण मौजूद थे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।